**<u>न्यायालय सत्र न्यायाधीश, लखनऊ</u>**

**सत्र परीक्षण सं०-985/2018**

उ०प्र० राज्य **बनाम** गुलरेज अहमद

**<u>दिनांक-31.07.2026</u>**

**1.** पत्रावली पेश हुई। पुकार पर अभियुक्त गुलरेज अहमद अनुपस्थित। अभियुक्त के जामिनदार अल्ताफ हुसैन व दिनेश कुमार की ओर से अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत कर कथन किया गया कि उन्हें जमानत धनराशि जमा करने हेतु 15 दिवस का समय प्रदान किया जाये।

**2.** पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त गुलरेज अहमद दिनांक 01.04.2026 से निरन्तर अनुपस्थित चल रहा है, जिसके कारण उसके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। अभियुक्त द्वारा उक्त गैर जमानतीय वारण्ट को निरस्त करने व आरोप-पत्र को समाप्त करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 482 सं०-3195/2026 प्रस्तुत किया गया था, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित 20.04.2026 के माध्यम से अभियुक्त को 15 दिवस का समय प्रदान करते हुये मात्र उक्त अवधि के लिये गैर जमानतीय वारण्ट को स्थगित किया गया तथा यह भी आदेशित किया गया कि यिद अभियुक्त न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है और विचारण में सहयोग नहीं करता है तो उक्त आदेश निष्प्रभावी होगा। अभियुक्त उक्त आदेश के अनुपालन में इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ, जिसके पश्चात दिनांक 29.05.2026 को अभियुक्त के विरुद्ध पुनः नये सिरे से एन.बी.डब्लू. जारी किया गया तथा सम्बंधित उप-निरीक्षक को 20 दिवस में उक्त एन.बी.डब्लू. का अनुपालन करने हेतु आदेशित किया गया, किन्तु अभियुक्त को उपस्थित नहीं कराया जा सका। अभियुक्त की अनुपस्थिति के कारण दिनांक 19.06.2026 को अभियुक्त के जमानतदारों को भी नोटिस जारी की गयी, किन्त अभी तक अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित कराई जा सकी।

**3.** आज जमानतदारों की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि जमानतदार अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराने में असमर्थ हैं तथा वे जमानत की धनराशि जमा करने हेतु 15 दिवस का समय चाहते हैं।

**4.** वादी मुकदमा की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि अभियुक्त माननीय उच्च न्यायालय तथा इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की अनदेखी कर फरार हो गया है। अभियुक्त प्रस्तुत वाद के प्रारम्भिक स्तर पर भी धारा 82 व 83 दं०प्र०सं० की कार्यवाही के पश्चात ही उपस्थित हुआ था। अभियुक्त जानबूझकर न्यायिक कार्यवाही से बच रहा है, अतः अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु 82 व 83 दण्ड प्रक्रिया संहिता(84 व 85 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के अन्तर्गत कार्यवाही की जाये।

**5.** अभियुक्त द्वारा न्यायालय के आदेशों की निरन्तर अवहेलना की जा रही है। न्यायालय द्वारा जारी किए गए गैर जमानती वारंट के उपरान्त भी अभियुक्त का उपस्थित न होना इस तथ्य का द्योतक है कि अभियुक्त विचारण की कार्यवाही से बचने का प्रयास कर रहा है। जमानतदारों का यह दायित्व है कि वे अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराएं, जिसके आधार पर उसे जमानत पर मुक्त किया गया था। मात्र इस आधार पर कि वे अभियुक्त को उपस्थित कराने में असमर्थ हैं, उन्हें उनके दायित्व से मुक्त नहीं किया जा सकता। तथापि, न्यायहित में जमानतदारों को अंतिम अवसर प्रदान किया जाना उचित प्रतीत होता है।

**6.** अतः जमानतदारों को अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है कि वे या तो अभियुक्त गुलरेज अहमद को आगामी नियत तिथि तक न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित कराएं अथवा विधि-अनुसार अभियुक्त की जमानत की धनराशि न्यायालय में जमा करें।

**7.** चूंकि अभियुक्त न्यायालय द्वारा जारी प्रक्रिया के उपरान्त भी जानबूझकर अनुपस्थित चल रहा है, अतः अभियुक्त गुलरेज अहमद के विरुद्ध एन.बी.डब्लू. व 82 दं०प्र०सं० की आदेशिका जारी हो। पत्रावली वास्ते हाजिरी **दिनांक 17.08.2026** को पेश हो।

**सत्र न्यायाधीश,**

**लखनऊ**

Digitally signed by Malkhan Singh
Date: 2026.08.07 10:41:21 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court